

# मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

## उनवान

1. श्री लालुराम पिता रूपा जाट निवासी थामला तह. मावली।

.....वादी

## बनाम

1. श्री खेमा पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।
2. श्री चैना पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।
3. श्री डालु पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।
4. श्री नारु पिता स्व. गोकुल जाट निवासी थामला तह. मावली।
5. श्री गोटुलाल मुतबन्ना उदा जाट निवासी थामला तह. मावली।
6. श्री माधुलाल पिता रूपा जाट निवासी थामला तह. मावली।
7. श्री इन्दरलाल पिता रूपा जाट निवासी थामला तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण


दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 156/17 वाद

निर्णय दिनांक : 10.02.2018

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा थामला पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 4585 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 1/9 हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 से 7 को खातेदार एवं आराजी नम्बर 4587 रकबा 17 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 5 से 7 को 1/8वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
( जितेन्द्र ओझा )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर मावली